तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी0ए0/5730/2005/गंगानगर रघुनाथराम बनाम मदनलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-05-2024	**एकलपीठ** **श्री अविनाश चौधरी, सदस्य** **उपस्थित** श्री अमृतपाल सिंह वानर, अधिवक्ता प्रार्थी श्री अभिषेक छाबड़ा, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** प्रार्थी द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 230 के अंतर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगानगर के निर्णय दिनांक 25–10–2005 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। आक्षेपित आदेश दिनांक 25.10.2005 के माध्यम से योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 अस्वीकार किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में वादी है। जिसमें प्रतिवादी संख्या–10 रामरख के काउण्टर क्लेम को निरस्त करवाने हेतु योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पेश किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 में पुनरीक्षणकर्ता ने निवेदन किया है कि रामरख प्रतिवादी संख्या–10 का काउन्टर क्लेम विधि के प्रावधानों के अनुसार बाधित है, इस कारण पोषणीय नहीं है। उक्त काउन्टर क्लेम प्रतिवादी ने मूल वाद के लंबित काल में विवादित भूमि के हस्तांतरण करने के बाद से संबंधित है जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार मूल वाद के लंबन काल में किया गया हस्तांतरण void-ab-initio है। इस कारण प्रतिवादी संख्या–2 को किसी प्रकार का कोई अधिकार विवादित भूमि के प्राप्त नहीं हुये है। जब कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं हुये है तो काउन्टर क्लेम लाने का प्रतिवादी संख्या–10 को कोई अधिकार नहीं है। इस कारण प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम निरस्त करने योग्य है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी0ए0/5730/2005/गंगानगर रघुनाथराम बनाम मदनलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी रामरख द्वारा वाद के लंबित रहने के दौरान वादग्रस्त संपदा क्रय की गयी है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 एवं 4 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 31.07.2001 के माध्यम से क्रेता रामरख को प्रतिवादी संख्या–10 के रूप में प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया गया है। जिसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा अपना काउन्टर क्लेम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। जिसे निरस्त करने हेतु पुनरीक्षण याचिकाकर्ता ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पेश किया है। पुनरीक्षणकर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र व न्यायालय के समक्ष निवेदन किया है कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 10 रामरख ने वाद के लंबित रहने के दौरान वादग्रस्त संपत्ति को क्रय किया है। अतः उक्त क्रय void-ab-initio है। पुनरीक्षणकर्ता का यह निवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि वाद के लंबित रहने के दौरान विवादित संपत्ति को क्रय करने पर वह विक्रय void-ab-initio नहीं हो जाता है, केवल मात्र उक्त विक्रय पर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 के तहत उपबंधित doctroine of lis-pendens लागू होगा। अतः पुनरीक्षण याचिकाकर्ता ने जिन आधारों पर प्रार्थी का काउन्टर क्लेम निरस्त करने का निवेदन किया वे आधार स्वीकार योग्य नहीं है। किंतु चूंकि प्रतिवादी संख्या 10 रामरख ने विवादित संपत्ति वाद के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी मदनलाल से क्रय की है। अतः प्रकरण में रामरख को मदनलाल के हित के समनुदेशिती के रूप में पक्षकार बनाया गया है अर्थात् रामरख, मदनलाल के फुट–स्टेप पर ही प्रकरण में पक्षकार बना है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी रामरख प्रतिवादी मदनलाल से भिन्न जवाबदेही प्रकरण में पेश नहीं कर सकता है। चूंकि प्रतिवादी मदनलाल द्वारा पूर्व में ही न्यायालय में जवाबदावा पेश किया जा चुका है जो अभिलेख पर भी लिया जा चुका	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी0ए0/5730/2005/गंगानगर रघुनाथराम बनाम मदनलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है। अतः उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुये स्पष्ट है कि प्रतिवादी रामरख प्रतिवादी मदनलाल से भिन्न कोई जवाबदावा अथवा काउन्टर क्लेम पेश नहीं कर सकता है एवं इस आधार पर प्रतिवादी संख्या 10 रामरख द्वारा पेश किया गया काउन्टर क्लेम अभिलेख पर लिये जाने योग्य नहीं है।

परिणामतः योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित वाद संख्या 421/2000 में प्रतिवादी रामरख की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को अभिलेख से हटाये जाने के आदेश दिये जाते है, पेश किये गये काउन्टर क्लेम को पत्रावली के डी–पार्ट में शामिल किया जाये। प्रकरण उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाए। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अविनाश चौधरी)
सदस्य